

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर, मावली, उदयपुर

कार्यपालक मजिस्ट्रेट
 मुकदमा 21224 विपक्षी अमृतलाल
 पत्रावली संख्या 09A/19 सन्

क्र. कार्यवाही विवरण हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं

18/12/24 पत्रावली पेश हुई। उपा. धारणी को निरन्तर आवाजे दिलवाई गई। अनुपास्थित ही दोपहर बाद पुनः आ. धारणी को निरन्तर आवाजे दिलवाई गई। अनुपास्थित ही मूल वाद की आज खारिज हो चुका है ऐसे में अब इस अन्याय में पेशवा की प्र.प. को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः धारणी का प्र.प. अन्याय था। 212 R.T. Act अधिनियम द्वारा, अधिनियम में खारिज किया जाता है।
 पत्रावली के सल सुमर होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।
 निरीय करे इजलास सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) मावली

